राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण राजस्थान जयपुर)

कमांकः– एफ 3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/ 19028-68 दिनांकः– 26/02/2020

परिपत्र

भारत सरकार के द्वारा **PMKSY** योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार **PMKSY** योजना के बैंक खाते में योजना से सम्बन्धित राशि जैसे केन्द्रीयांश, राज्यांश एवं बैंक खाते में अर्जित ब्याज की राशि ही जमा कराई जानी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2018–19 की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड कम डाटा सेन्टर, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी (PIA) एवं वाटर शेड कमेटियों के द्वारा **PMKSY** योजना के बैंक खाते में योजना के अतिरिक्त निविदा/बिड शुल्क, अमानत/धरोहर, राशि, अमानत/धरोहर समपहृत (Forfeit) राशि, टीडीएस, जीएसटी, रॉयल्टी, डब्ल्यूडीएफ, सीडमनी, एमजेएसए से सम्बन्धित राशियाँ भी जमा कराई जा रही है जिससे योजना के बैंक खाते में योजना की प्राप्त राशि से अधिक बैंक शेष प्रदर्शित हो रहा है। इसको भारत सरकार ने गम्भीरता से लिया है एवं निर्देश दिये हैं कि **PMKSY** योजना के बैंक खाते में योजना से संबंधित राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि जमा नहीं कराई जावें।

अतः समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबन्धक वाटरशेड कम डाटा सेन्टर, परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी एवं वाटरशेड कमेटियों को निर्देशित किया जाता है कि **PMKSY** योजना के बैंक खाते में योजना से सम्बन्धित प्राप्त राशियों जैसे केन्द्रीयांश, राज्यांश एवं बैंक खाते में अर्जित ब्याज को जमा लिया जावे तथा इसके अलावा अन्य प्राप्त राशियों को **Institutional Fund** के बैंक खाते में जमा कराई जावें। राजकोष में जमा कराई जाने वाली राशियों जैसे निविदा/बिड शुल्क, टीडीएस, जीएसटी, रॉयल्टी, एवं अन्य करों की राशि, अमानत/धरोहर राशि की समपहृत (Forfeit) राशि को सम्बन्धित लेखाशीर्ष में जमा कराई जावें।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावें। उक्त परिपत्र की अवहेलना किये जाने पर अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।

(सीताराम बंजारा)
आयुक्त

कमांकः– एफ 3( )/आजभूसं/लेखा/विविध/2019–20/ 19028-68 दिनांकः– 26/02/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (प्रशासन, IWMP) आयुक्तालय, जयपुर
6. समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
7. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (ऑडिट,स्कीम) आयुक्तालय, जयपुर।
8. एसीपी (कम्प्यूटर अनुभाग) आयुक्तालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र का प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर करने एवं समस्त अधीक्षण अभियंता एवं पदेन परियोजना प्रबंधक को ई–मेल करने की व्यवस्था करें।
9. रक्षित पत्रावली।

26/02/2020
(रतन लाल वर्मा)
वित्तीय सलाहकार

F: /Accounts-2019/AO SIR/ LATTER